



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-813-औ०सं० / 2015-11(8)ए०एस० / 2006

दिनांक

12 मार्च, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश सं०-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), माताटीला हाईडिल कालोनी, सिविल लाइन्स, झाँसी क्षेत्र, झाँसी के पत्र सं०-4657-मु०अ०/झाँसी दिनांक 20.02.2015 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में "झाँसी आर्थोपीडिक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर रोड, झाँसी", को हड्डी एवं जोड़ रोग के उपचार हेतु एतद्वारा एकल विशिष्टता के रूप में दिनांक 30.06.2016 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं०-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)29-एन०जी०-2/78 दिनांक 24.05.1978 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा।

- 1- अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
- 2- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
- 3- चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और प्रति तीन माह में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के मुख्य चिकित्साधिकारी/कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी:-

(क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।

(ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।

(ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।

(घ) कार्मिक का वेतनमान।

(ङ) रोग का नाम (डायग्नोसिस)।

(च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

- 4- कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेब साइट www.uppcl.org-Personnel पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

NB

- 5- यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जायेगी।
- 6- निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-813-(1) औस/पाकालि/2015-तददिनांक :-

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-
- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
 - 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
 - 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 4- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन)/(कार्य एवं परियोजना)/(परिचालन)/(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमाल, मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
 - 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
 - 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 - 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।
 - 9- महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 - 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 - 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 - 12- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Personnel** पर लोड करने हेतु।
 - 13- सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 - 14- प्रबन्धक, झॉसी आर्थोपीडिक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर रोड, झॉसी।
 - 15- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
 - 16- कट फाइल।

Not Math
12.3.15
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी